5 रु. भारत पाँच रुपये — Rs. 5 INDIA FIVE RUPEES

श्री. एम. गुप्ता अधि०
द्वारा आज दि. 10-8-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 14-8-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 10-8-18

# माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क ~~/2018~~/ निगरानी – 4906/2018/भिण्ड/भू.रा

राजीव पुत्र स्व0 श्री मदन बौहरे निवासी ग्राम मेहगांव हाल निवासी दत्तमंदिर के पास शताब्दी ट्रेवल्स कम्पू रोड लश्कर ग्वालियर

---प्रार्थी

बनाम

1 रजनीश बोहरे पुत्र स्व0 श्री मदन बोहरे निवासी बैंक ऑफ इंडिया की गली अरोरा भवन के पास शिंदे की छावनी लश्कर ग्वालियर

2 निर्मल सिंह

3 जरनेल सिंह पुत्रगण श्री कुरवीर सिंह निवासी ग्राम चक सर्वा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---प्रतिप्रार्थी

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 21/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)**

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

**निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:–**

यहकि प्रतिप्रार्थी कमांक 1 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरण पंजी कमांक 5 आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई अपील के साथ अवधि विधान

क्रमशः 02

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-4906/2018/भिण्ड/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21/08/2018 | आवेदक अधिवक्ता श्री सी.एम. गुप्ता द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक अधिवक्त के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन अस्वीकार किया गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के अनुसार विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |